Office of the District Magistrate, Muzaffarnagar

From : City Magistrate
Muzaffarnagar

To,

The Registrar
National Green Tribunal
Principal Bench
New Delhi.
E-mail : judicial-ngt@gov.in

Ref. No. : 1246/OA-604/Hussain Ahmad/2024 Dated : 01-03-2024

Sub.- **Report in Compliance to the direction issued by Hon'ble National Green Tribunal on 05.01.2024 in O.A. No. 604/2023 Hussain Ahamad Vs State of U.P. & Ors.**

Sir,

With reference to the subject mentioned above kindly find enclosed herewith the Report in compliance of the order issued on 05.01.2024 by Hon'ble National Green Tribunal in O.A. No. 604/2023 Hussain Ahamad Vs State of U.P. & Ors.

Encl. : As above.

Yours faithfully

(Vikas Kashyap)
City Magistrate
Muzaffarnagar

Copy to :

1. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2. District Magistrate, Muzaffarnagar for information.
3. Shri Pradeep Mishra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action.
4. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
5. Chief Environmental Officer (Circle-3), U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

City Magistrate
Muzaffarnagar

RO-UPPCB

COMPLIANCE REPORT OF JOINT COMMITTEE CONSTITUTED BY HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL'S ORDER DATED 05.01.2024 IN O.A. NO. 604/2023 HUSSAIN AHMAD VS STATE OF UP & ORS.
==

1.0 BACKGROUND:

1. In reference to the grievance aroused by Mr. Hussain Ahmad, Hon'ble Tribunal registered the letter petition as Original Application and issued directions on 05.01.2024. The applicant has made allegation with respect to illegal mining of earth from the nearby agricultural field by two Brick Kilns by digging pits upto 15-20 feet and abandoning them as a result of which during the rainy season water got filled in thoseditches and five children had dawned and died.

2. Hon'ble Tribunal vide order dated 13.10.2023 constituted a joint committee of CPCB, UPPCBand District Administration to visit the site and find out the factual position and suggest remedial measures. The committeesubmitted the report dated 03.01.2024 to the Hon'ble Tribunal observing that both the brick kilns had dug various pits upto the depth of 2 meters and those pits were filled with the rainy water and depth of the pits was not known, hence, accident could take place. To prevent any such accident, no fencing of the pit was done and no notice board was put up and that the said brick kilns were grossly negligent in this regard.

2.0 Order dated 05.01.2024

Hon'ble Tribunal, after perusal of the said report directed the following:-

"…………..The said report reveals that in respect of respondent-Shri Ram Brick Field, The report of the committee does not indicate that any compensation has been paid to the family members of the deceased children.

5. Learned Counsel appearing for the State seeks four weeks time to obtain instructions and file report in this regard. He has directed to obtain instructions in respect of the criminal prosecution of the said respondents and the material collected in that process.

6. Let a fresh report be filed within a period of four weeks………..''

3.0 Compliance of direction issued by Hon'ble Tribunal dated 05.01.2024

- District Magistrate, Muzaffarnagar nominated City Magistrate as a member of committee for compliance of Hon'ble Tribunal orders. In the above O.A. the brick kilns in question are M/s Shri Ram Brick Field, village Charthawal, Muzaffarnagar and M/s Maa Bhagwati Brick Field, Village Alipur Aterna , Block Budhana, Muzaffarnagar situated in Tehsil Sadar and Budhana respectively.

- In compliance to the above said order, City Magistrate vide letter no 1200/O.A Sankhya-604/Hussain Ahmad/2024 dated 24.02.2024 issued directions to concerned Sub Divisional Magistrates and Circle Officer, Police Department of Sadar and Budhana Tehsils directing to investigate the cause of incident and take necessary actions to provide compensation to the deceased families and to take action against the defaulters as per law. Letter of City Magistrate is annexed as **Annexure 1.**

- In compliance to the letter issued by City Magistrate, Muzaffarnagar, Sub Divisional Magistrate, Sadar, Muzaffarnagar and C.O. Sadar, Muzaffarnagar submitted compliance report dated 27.02.2024 and 29.02.2024 respectively **(Annexure 2)** to City Magistrate, Muzaffarnagar stating that directions were issued to

concerned Nayab Tehsildar to investigate the whole matter and find out if the incident comes under Natural Disaster. Nayab Tehsildar vide letter dated 25.07.2023 **(Annexure 3)** stated that Swati d/o Tulsidas and Priyanshu s/o Janeshwar had passed away by drowning on 12.07.2023 in the water filled in pits made by the Brick Kiln for mining activity. The family members of both deceased have lodged F.I.R for death under IPC suction – 304 and unintentional kill under SC ST act under section 3(1)(X). Copies of FIR in annexed as **Annexure 4**. As per the report of Nayab Tehsildar dated 26.07.2023 and Tehsildar report dated 26.07.2023**,** as the family members of both the deceased had lodged FIR against the owner of brick kiln M/s Shri Ram Brick Field, hence, the incident cannot be considered as Natural Disaster. Thus, compensation cannot be given to the deceased family as per law

- Similarly, 3 children were also deceased in a different tehsil of Budhana, Muzaffarnagar, where in M/s Maa Bhagwati Brick Field, Village Alipur Aterna, Muzaffarnagar had also dug pits due to mining activity. 3 children came to the area for playing and fell in the pits filled with water and drowned. Investigation was conducted by concerned Lekhpal and Revenue Inspector. As per the Report of SDM Budhana and C.O. Budhana, during the inspection, statement of family members of the diseased children was noted. As per the statement, the family members willingly did not want the postmortem to be conducted of any of the children. Report of SDM Budhana and C.O. Budhana is annexed as **Annexure-5.**

- As per the GO dated 13.10. 2022 and letter dated 10.10.2022 of Home Ministry, Central Government **(Annexure 6 and 7**
- **)** according to which compensation can be given to only those deceased under national disaster response funds who has certificate stating the cause of death and as postmortem was not conducted, hence, the written cause of death was not obtained due to which compensation could not be given under the National Disaster Response Funds. Letter annexed as **Annexure 8.**

The above report is put up for perusal and necessary action please.

S.No.	Name of Officials & Details	Signature
1	**Vikas Kashyap** **City Magistrate, Muzaffarnagar**	[signature]
2	**Ankit Singh** **Regional Officer, UPPCB Muzaffarnagar**	[signature]
2	**Imraan Ali** **Asstt. Environment Engineer, UPPCB, Muzaffarnagar**	[signature]

कार्यालय नगर मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर। ANNEXURE-1

अति महत्वपूर्ण / तत्काल

पत्रांक : 1200/ओ०ए०संख्या-604/हुसैन अहमद/2024 दिनांक : 24-2-2024

1– उपजिलाधिकारी–सदर, मुजफ्फरनगर।
2– उपजिलाधिकारी–बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर।
3– क्षेत्राधिकारी पुलिस, सदर, मुजफ्फरनगर।
4– क्षेत्राधिकारी पुलिस, बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर।

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 604/2023 हुसैन अहमद बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 05.01.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि ईंट भट्टा मै0 श्रीराम ब्रिक फील्ड, ग्राम चरथावल, जिला मुजफ्फरनगर के खनन क्षेत्र गाटा संख्या 317, 319 एवं 636 में दिनांक 13.07.2023 को श्री जनेश्वर पुत्र श्री बीरबल निवासी ग्राम कसियारा का 13 वर्षीय पुत्र प्रियांशु अपनी माता के साथ उक्त स्थल के सन्निकट खेतों में काम करने हेतु आया हुआ था। तत्समय उसके पैर गन्दे हो गये थे, पैरों को धोने के लिए वह खनन क्षेत्र में स्थित पानी भराव क्षेत्र में चला गया तथा पैरों को धोने के दौरान उसका पैर फिसल गया, जिसके कारण वह पानी में डूबने लगा, जिसको बचाने के लिए एक अन्य बच्ची स्वाति पुत्री तुलसीराम निवासी ग्राम कसियारा, आयी, वह भी पानी में फिसलकर डूब गयी तथा दोनों बच्चों की मृत्यु पानी में डूबने के कारण हो गयी थी।

इसी प्रकार ईंट भट्टा मै0 माँ भगवती ब्रिक फीव्ड, ग्राम अलीपुर अटेरना, ब्लॉक बुढ़ाना, जिला मुजफ्फरनगर के खनन क्षेत्र गाटा संख्या 427, 1506म एवं 428 ग्राम अलीपुर अटेरना में दिनांक 27.06.2023 को श्री हुसैन पुत्र युसुफ निवासी ग्राम दभेड़ी रसूलपुर, तहसील बुढाना जिला मुजफ्फरनगर के 03 पुत्र फैजल आयु 8 वर्ष, असद आयु 10 वर्ष एवं अहसान आयु 12 वर्ष की मृत्यु उक्त स्थल पर गड्ढों के पानी में डूबने से हो गयी थी।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 604/2023 हुसैन अहमद बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एण्ड अदर्स में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.01.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं :–

4. The report of the committee does not indicate that any compensation has been paid to the family members of the deceased children.

5. Learned Counsel appearing for the State seeks four weeks time to obtain instructions and file report in this regard. He has directed to obtain instructions in respect of the criminal prosecution of the said respondents and the material collected in that process.

6. Let a fresh report be filed within a period of four weeks.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेशों के अनुपालन में आपसे अपेक्षा है कि उक्त प्रकरण में पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिये जाने एवं दोषियों के विरूद्ध कृत कार्यवाही की अद्यतन स्थिति का पूर्ण विवरण तत्काल अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि ससमय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में जिलाधिकारी महोदय की ओर से आख्या प्रस्तुत की जा सके। प्रकरण में सुनवाई हेतु **अग्रिम तिथि 06.03.2024** नियत है। अतः आपका विशेष ध्यानाकर्षण अपेक्षित है।

भवदीय,

(विकास कश्यप)
नगर मजिस्ट्रेट
मुजफ्फरनगर।

प्रतिलिपि – जिलाधिकारी महोदय, मुजफ्फरनगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

नगर मजिस्ट्रेट
मुजफ्फरनगर।

D/Neeraj Mittal/Letter 2024

ANNEXURE-2

कार्यालय उपजिलाधिकारी–सदर, मुज़फ्फरनगर।

पत्रांकः– 1050/रा0नि0(का0)/2022

दिनांकः– 27 फरवरी 2024

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–604/2023 हुसैन अहमद बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एण्ड् अदर्स में पारित आदेश दिनांक 05–01–2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

नगर मजिस्ट्रेट,
मुज़फ्फरनगर।

उपर्युक्त विषयक सादर अवगत कराना हैं कि ईंट भट्टा श्रीराम ब्रिक फील्ड, ग्राम चरथावल जिला मुज़फ्फरनगर के खनन क्षेत्र गाटा संख्या–317 व 319 एवं 636 में दिनांक 13–07–2023 को श्री जनेश्वर पुत्र बीरबल निवासी ग्राम कसियारा 13 वर्षीय पुत्र प्रियांशु अपनी माता के साथ उक्त स्थल के सन्निकट खेतों में काम करने हेतु गया हुआ था। तत्समय उसके पैर गन्दे हो गये थे, पैरों को धोने के लिये व खनन क्षेत्र में स्थित पानी भराव क्षेत्र में चला गया। तथा पैरों को धोने के दौरान उसका पैर फिसल गया जिसके कारण वह पानी में डूबने लगा जिसको बचाने के लिये एक अन्य बच्ची स्वाति पुत्री तुलसीदास निवासी ग्राम कसियारा, आयी, वह भी पानी में फिसलकर डूब गयी दोनों बच्चों की मृत्यु पानी में डूबने के कारण हो गयी थी। उक्त के सम्बन्ध में क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा दिनांक 13–07–2023 को आपत्ति सूचना फार्म–प20 पर खनन क्षेत्र (खेत) में बने गढ्ढे में स्थिर पानी में डूबकर मृत्यु होना दर्ज कराया गया।

उ0प्र0 शासन अनुभाग–11 की अधिसूचना संख्या–387/एक–11–2021–4(जी0)/2015 लखनऊ दिनांक 09 जून 2021 के अन्तर्गत नहर, नाला/गढढे में डूबने से हुई मृत्यु की घटना को दैवीय आपदा में होने के सम्बन्ध में क्षेत्रीय नायब तहसीलदार से जांच आख्या प्राप्त की गयी। जिसमें नायब तहसीलदार की जांच आख्या अनुसार स्वाति पुत्री तुलसीदास व प्रियांशु (आयु 11 वर्ष) पुत्र जनेश्वर ग्राम कसियारा की मृत्यु दिनांक 12–07–2023 में भट्टे के ईंट पथाई के गढ्ढे में वर्षा जल भराव के कारण डूबकर हुयी हैं तथा मृतक के परिजनो द्वारा ईंट भट्टा मालिक के विरूद्ध थाना चरथावल में आई0पी0सी0 की धारा–304 व गैर इरादतन हत्या का एस0सी0, एस0टी0 एक्ट की धारा–3(1)(X) में हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी है। अतः प्रकरण दैवीय आपदा के अन्तर्गत नहीं हैं। सुलभ सन्दर्भ हेतु एफ0आई0आर0 की छायाप्रति साथ संलग्न हैं।

नायब तहसीलदार की आख्या दिनांक 25–07–2023 एवं तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 26–07–2023 से सहमत होकर उक्त प्रकरण में मृतक के परिवार जनों द्वारा भट्टा मालिक के विरूद्ध थाना चरथावल में आई0पी0सी0 की धारा–304 व गैर इरादतन हत्या का एस0सी0, एस0टी0 एक्ट की धारा–3(1)(X) में प्राथमिकी दर्ज किये जाने के फलस्वरूप प्रकरण दैवीय आपदा के अन्तर्गत नहीं आने के कारण वर्तमान में कोई सहायता देय नहीं है, उक्त सन्दर्भ की आख्या अपर जिलाधिकारी (वि0 एवं रा0), महोदय को दिनांक 26–07–2023 को प्रेषित की गयी थी।

आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

उपजिलाधिकारी सदर,
मुज़फ्फरनगर।

Brijpal RK- 26

नगर मजिस्ट्रेट,
मुजफ्फरनगर।

कृपया आपके पत्र दिनांक रहित का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सख्या: 604/2023 हुसैन अहमद बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एण्ड अदर्स में पारित आदेश के अनुपालन में आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मेरे कार्यालय पर उपलब्ध अभिलेखानुसार वादिया श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्व0 तुलसीदास, निवासी ग्राम कसियाना थाना चरथावल जनपद मु0नगर ने वादिया की पुत्री स्वाति उम्र करीब 15 वर्ष व वादिया के देवर का पुत्र प्रियांशु उर्फ गुड्डू उम्र करीब 12 वर्ष का शव भट्टे के खदान में पानी भरे गड्डे में मिलने के सम्बन्ध में दिनांक 13.07.2023 को थाना चरथावल जनपद मु0नगर पर मु0अ0सं0 228/23 धारा 304 भादंवि व 3(1)(x) एससी/एसटी एक्ट बनाम अज्ञात पजीकृत कराया। जिसकी विवेचना मेरे पूर्वाधिकारी श्री विनय गौतम, क्षेत्राधिकारी सदर, जनपद मु0नगर के द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के दौरान बयान वादिया, बयान गवाहान एवं निरीक्षण घटना स्थल की कार्यवाही की गयी तथा प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर धारा 3(1)(x) एससी/एसटी एक्ट का विलोप करते हुए धारा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट की वृद्धि की गयी। विवेचना के दौरान वादिया सावित्री, जनेश्वर, ऋषिपाल के द्वारा शपथ देते हुए अवगत कराया कि प्रियांशु उर्फ गुड्डू व स्वाती उपरोक्त जंगल मे चारा लेने गये हुए थे और वापस आते हुए खेतो मे कई दिनो से वारिश होने के कारण पानी भरा हुआ था जिसमे एक बडे गडडे मे दलदल होने के कारण प्रियांषु उर्फ गुडडु का पैर फिसल गया जिसको बचाने के चक्कर मे स्वाति का भी पैर फिसल गया था, जिसमें डूबने से उन दोनो बच्चो की मृत्यु हो गई थी।

दौराने विवेचना बयान वादिया, निरीक्षण घटना स्थल, बयान गवाहन, बयान स्वतंत्र गवाहन, मृतक प्रियाशु व मृतका स्वाति के पंचायतनाम एवं पीएमआर के अवलोकन से मृतक प्रियांशु व स्वाति की मृत्यु गडडे में भरे पानी में डूबने से इत्फाकिया हुयी है। तमामी विवेचना से अभियोग में नामित अवनीश त्यागी उपरोक्त के विरूद्ध घटना की कोई प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने पर मुकदमा उपरोक्त की विवेचना द्वारा अन्तिम रिपोर्ट संख्या: 42/23 दिनांक 07.08.2023 को किता कर मा0न्यायालय प्रेषित की गयी।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि वादिया/पीडिता श्रीमती सावित्री देवी उपरोक्त तथा पीड़ित जनेश्वर पुत्र बलवीर निवासी ग्राम कसियारा थाना चरथावल जनपद मु0नगर को प्रथम. सूचना रिपोर्ट के उपरान्त आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु उच्चाधिकारी को दिनांक 20.07.2023 को आख्या प्रेषित की गयी थी।

आख्या सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

दिनांक: फरवरी ,2024

(राजु कुमार साव)
क्षेत्राधिकारी सदर,
मुजफ्फरनगर।

ANNEXURE-3

तहसीलदार–सदर,
मुजफ्फरनगर।

महोदय,

कृपया सम्मुख संलग्न फार्म न0 प(20) जिसके अनुसार दिनांक 12.07.2023 को स्वाति पुत्री तुलसीदास निवासी ग्राम कसियारा परगना चरथावल तहसील व ज़िला मुजफ्फरनगर की खेत में से चारा लाते समय गढढे में भरे पानी में डूबकर मृत्यु हो गयी है।

उक्त के सम्बंध में ग्राम में जाकर क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक/लेखपाल को साथ में लेकर ग्राम में जाकर जॉच की गयी है ग्राम में बताया गया है कि मृतक स्वाति पुत्री तुलसीदास निवासी ग्राम कसियारा परगना चरथावल तहसील व जिला मुजफ्फरनगर दिनांक 12.07.2023 को सांय लगभग 4:00 बजे खेत में से चारा लेने गयी थी। खेत से चारा लाते समय गढढे में भरे पानी में डूबकर मृत्यु हो गयी है । मृतक का पंचनामा व पोस्टमार्टम कराया गया है।

उक्त के सम्बंध में सादर अवगत कराना है कि उ0प्र0 शासन अनुभाग–11 की अधिसूचना संख्या 387/एक–11–2021–4(जी)/2015 लखनऊ दिनांक 09 जून 2021 के अन्तर्गत नहर/नाला/गडढे में डूबने से हुई मृत्यु की घटना को दैवी आपदा घोषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस सम्बंध में उ0प्र0 शासन अनुभाग–11 की अधिसूचना संख्या 387/एक–11–2021–4(जी)/2015 लखनऊ दिनांक 09 जून 2021 के

प्रस्तर–(3) के अनुसार आपदा/दुर्घटनावश/डूबकर होने वाली मृत्यु तथा स्वेच्छा से डूबकर होने वाली मृत्यु में अन्तर उक्त आधारों पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया जायेगा।

प्रस्तर–(4) के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु आत्महत्या या अन्य अपराधिक कृत्य के फलस्वरूप होती है तो ऐसी दशा में मृतक के आश्रित को कोई सहायता राशि अनुमान्य नहीं होगी।

उक्त प्रकरण में स्वाति पुत्री तुलसीदास ग्राम–कसियारा, की मृत्यु की स्थलीय जॉच की गई स्थलीय जॉच के अनुसार भटटे के ईटं पथाई के गडढे में वर्षा जल भराव के कारण डूब कर हुई है, मृतक के परिजनों ने भटटे के मालिक के विरूद्ध थाना चरथावल में आई0पी0सी0 की धारा 304 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कराया है।(प्रति संलग्न)

उचित कार्यवाही हेतु आख्या सेवा में सादर प्रेषित है:–

25/7/2023

महोदय,
आख्या ना० तह० संस्तुति सहित
प्रेषित।
26/7/23
तहसीलदार
मुजफ्फरनगर

Anil Rk

ANNEXURE-4

General Diary Details
सामान्य दैनिकी विवरण

State (राज्य): उत्तर प्रदेश
P.S. (थाना): चरथावल
District (जिला): मुजफ्फर नगर
1. G.D. No. (रोजनामचा सं.): [illegible]
2. G.D. Date (रोजनामचा दिनांक): 13/07/2023 02:15 बजे
3. G.D. Type (रोजनामचा प्रकार): आपराधिक प्रकरण
4. Entry for (officer) (प्रविष्टि अधिकारी के लिए): [illegible]
5. Case Type (प्रकरण के प्रकार): प्रौढ
6. G.D. Brief (रोजनामचा संक्षिप्त):
आमद आगन्तुक व दाखिला प्रा0पत्र व कायमी मु0अ0स0 228/23 धारा 304 भादवि व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट
इस समय श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्व0 तुलसीदास नि0 ग्राम कसियारा थाना चरथावल मु0नगर मौ0न0 8077902152 मय हमराह स्वयं के देवर जनेश्चर व सचिन देव भारतीय पुत्र चन्द्पाल मौ0न0 78957194912 व आशीष पुत्र चन्द्रभान मौ0न0 8171453428 मय प्रदीप पुत्र राम सिंह मौ0न0 7037945047 मय रोनक पुत्र श्रवण सिंह मौ0न0 8449055363 मय शोभित पुत्र सलेखचन्द मौ0न0 8755959043 समस्त नि0गण ग्राम कसियारा थाना चरथावल मु0नगर के उपस्थित थाना हाजिर आकर एक किता प्रा0पत्र हिन्दी लिखित लेखक टीटू करडवाल पुत्र जयप्रकाश राम नि0 कसियारा थाना चरथावल जिला मु0नगर मौ0न0 9897919742 व दस्तखती स्वय की व देवर जनेश्वर की बताते हुये बाबत स्वयं की पुत्री स्वाती उम्र 15 वर्ष व प्रियांशु उर्फ गुड्डु पुत्र जनेश्वर उम्र करीब 12 वर्ष घर से पशुओ का चारा लेने जंगल जाने के उपरान्त वापस न आना व कृष्णपाल के खेत के पास भट्टा मालिक त्यागी समाज द्वारा खदान के गड्डो को जानबझाकर इकसार नहीं कराने खदान के गड्डो में करीब 15-16 फुट पानी भरने व गड्डो में वादिया की पुत्र स्वाती व देवर के लडके प्रियांशु उर्फ गुड्डु में शव मिलने के सम्बन्ध में दाखिल की दाखिला प्रा0पत्र के आधार पर मु0अ0स0 228/23 धारा 304 भादवि व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट दिनांक घटना 12-07-23 समय 16.00 बजे दि0सू0 13-07-23 समय कायमी हाजा घटना स्थल कृष्णपाल के खेत के पास भट्टे के खदान का गड्डा जंगल ग्राम कसियारा दिशा पूर्वोत्तर दूरी करीब 05 किमी हल्का चौकी अलावलपुर बामुदैयत श्रीमती सावित्री बनाम भट्टा मालिक त्यागी नाम अज्ञात नि0 कस्बा चरथावल मु0नगर के विरुद्ध सम्बन्धित रजिस्ट्रान में तफ्तीसी अभियोग कायम / दर्ज किया गया डेली जरायम इरशाल होगी तकमीला दर पेश है तफ्तीस श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर महोदय करेगे नकल चिक व नकल रपट वास्ते विवेचना का0 2308 राहुल कुमार को देकर श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय के कार्यालय रवाना किया गया घटना के सम्बन्ध में द्वारा दूरभाष व आरटी सैट के माध्यम से उच्चाधिकारीगण व [illegible] थाना प्रभारी महोदय को दी गई व व0उ0नि0 श्री रेशमपाल सिंह व उ0नि0 श्री शिव सिंह नागर को वाट देकर [illegible] मय हमराह है0का0 700 अरूण कुमार मय एक जरब एके-47 मय कार0 मय का0 604 अर्जुन कुमार मय एक [illegible] गाडी नम्बर न0 UP-12-AG-0584 के मय चालक एचजी 712 वैभव कुमार मय म0का0 1062 मनीषा व [illegible] 1836 [illegible] के घटनास्थल रवाना किया गया व [illegible] 438 [illegible] कुमार व का0 1815 [illegible] कुमार को घटनास्थल पर [illegible] मु0अ0स0 [illegible] किया गया

7. Subject (विषय):
आमद आगन्तुक व दाखिला प्रा0पत्र व कायमी मु0अ0स0 228/23 धारा 304 भादवि व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट
8. Acts & Sections (अधिनियम और धारा(एँ)):

S.No.(क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं स 1860	304
2	अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधन 2015)	3(1)(x)

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 13/07/2023
Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):
Name (नाम): THANA CHARTHAWAL
Rank (पद): I (Inspector)

Signature (हस्ताक्षर):
Name (नाम): THANA CHARTHAWAL
Rank (पद): I (Inspector)
No.(सं.): 9454404063

पं
4-22/23
13/07/2023

जिला

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** मुजफ्फर नगर
   P.S. (थाना): चरथावल　　　**Year (वर्ष):** 2023
   FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0228
   Date &Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 13/07/2023　00:18

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	304
2	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधन 2015)	3(1)(x)

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day (दिन): बुधवार　　Date From (दिनांक से): 12/07/2023　　Date To (दिनांक तक): 12/07/2023

   Time Period (समय अवधि): पहर 6　　Time From (समय से): 16:00 बजे　　Time To (समय तक): 16:00 बजे

(5)
422/23
13/07/2023

N.C.R.B (एन.सी.आर.
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 13/07/2023 Time (समय):00:18 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 003 Date & Time (दिनांक और समय): 13/07/2023 00:18 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): पूर्वोत्तर, 05 किमी Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): कृष्णपाल के खेत के पास,भट्टे के खदान का गड्डा,जंगल ग्राम कसियारा

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
Name of P.S. (थाना का नाम): District(State) (ज़िला (राज्य)):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

6.Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): श्रीमति सावित्री देवी

(b) Husband's Name (पति का नाम) : स्व0 तुलसीदास

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1991

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि):
Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	ग्राम कसियारा,चरथावल,मुजफ्फर नगर,उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	ग्राम कसियारा,चरथावल,मुजफ्फर नगर,उत्तर प्रदेश,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):
Mobile (मोबाइल सं.): 91-8077902152

7.Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

(8)

422/23

13/07/2023

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी.)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म)

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	भट्टा मालिक नाम अज्ञात		पिता का नाम : नामालूम	1. कस्बा चरथावल,चरथावल, मुजफ्फर नगर,उत्तर प्रदेश,भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No.	UIDB Number

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी महोदय थाना चरथावल मु0नगर महोदय निवेदन है । कि प्रार्थीया श्री मति सावित्री देवी पत्नी स्व0 तुलसी दास निवासीं गाँव कसियारा थाना चरथावल मु0नगर कि निवासी हुँ आज दिनाक 12/07/2023 को समय करीब शाय 04:00 बजे मेरी पूत्री स्वाती उर्म करीब 15 साल तथा मेरे देवर का लडका प्रियांषु (उर्फ) गुड्डु घर से पशुओं का चारा लेने जंगल गये थे जब काफी समय तक दोनो घर पर वपिस नही आए तो मैने तथा मेरे परिवार जन और ग्राम वासियों द्वारा जंगल में जाकर तलास किया तो दोनो बच्चे कृष्णपाल सेनी के खेत के पास भट्टे के खदान में जो 15/ से 16 फुट गहरे गडडे भट्टा मालिक द्वारा किए गये हैं। जिनमें बरसात का पानी भरा था उन गडडो में मृत अवस्था में मरे पडे मिले है। भटटा मालिक द्वारा गडडो को इकसार नही कराया गया भटटा मालिक चरथावल के त्यागी समाज से है । प्रार्थीया अनुसुचित जाति(चमार) से है अयह श्री मान जी से पाथना कि प्रार्थीया की रिपोर्ट लिखकर भट्टा मालिक के खिलाफ सख्त से सख्त कानुनी कार्यवाही करने की कृपा करे । SD नि0 अ0 सावित्री प्रार्थीया नाम श्रीमति सावित्री पत्नी स्व0 तुलसीदास निवासी गाँव कसियारा थाना चरथावल मु0नगर MOB 8077902152 SD जनेश्वर SD लेखक टीटू करडवाल S/O जयप्रकाश राम निवासी कसियारा थाना चरथावल मु0नगर 9897919742 नोट मैं का0 क्लर्क 1659 नितिन कुमार प्रमाणित करता हूँ कि तहरीर की नकल शब्द व शब्द कम्प्यूटर पर टाईप कर एफआईआर पंजीकृत की गयी है ।

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है |)

(1) *Registered the case and took up* the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): *or* (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): CO SADAR Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of

No. (सं.): 9454401612 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

(7)
422/23
13/07/2023

N.C.R.B (एन.सी.आ
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फा

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है |)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): CO SADAR Rank (पद): Dy. SP (Depu Superintendar

No. (सं.): 9454401612 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (२

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctl recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

7
422/13
13/07/2013

N.C.R.B (एन.सी.आ
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name THANA CHARTHAWAL
Rank I (Inspector)
No. 9454404063

ANNEXURE-5

कार्यालय उप जिलाधिकारी बुढ़ाना, जनपद मुजफ्फरनगर।
9454417005 Email:- sdm.budhana@gmail.com

पत्रांक सं0-1250एसटी/2024 दिनांकः27 ,फरवरी 2024

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-604/2023 हुसैन अहमद बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 05.01.2024 के अनुपालन के संबंध में।

सेवा में,

नगर मजिस्ट्रेट,
मुजफ्फरनगर ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निर्गत अपने कार्यालय के पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत ग्राम अलीपुर अटेरना में दिनांक 27.06.2023 को श्री हुसैन पुत्र युसुफ नि0 ग्राम दभेडी रसूलपुर तहसील बुढाना के 03 पुत्र फैजल आयु 08 वर्ष, असद आयु 10 वर्ष एवं अहसान आयु 12 वर्ष की मृत्यु ईट भट्टा मै0 मां भगवती ब्रिक फील्ड, ग्राम अलीपुर अटेरना के खनन क्षेत्र गाटा संख्या 427, 1506म एवं 428 में गड्ढों के पानी में डूबने से हुई मौत के संबंध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.01.2024 के अनुपालन में पीडित पक्ष को मुआवजा दिये जाने एवं दोषियों के विरूद्ध कृत कार्यवाही की अद्यतन स्थिति की आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिय गये है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 26.06.2023 को अपरान्ह लगभग 1.00 बजे ग्राम रसूलपुर दभेडी तहसील बुढाना निवासी अहसान नाबा0 आयु लगभग 10 वर्ष पुत्र आरिफ व असद आयु लगभग 08 वर्ष एवं फैसल आयु लगभग 06 वर्ष पुत्रगण हुसैन निवासीगण रसूलपुर दभेडी की गांव अलीपुर अटेरना स्थित मां भगवती ब्रिक फिल्ड में भट्टे की पथवार के खुदान में बरसात के पाने से भरे गहरे गड्ढे में खेलते हुए डूबने से मृत्यु हो गई थी। तत्समय ही क्षेत्रीय लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक शाहपुर द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया तथा मौके पर उपस्थित मृत बच्चों के पिता आरिफ एवं हुसैन पुत्रगण युसुफ निवासीगण ग्राम रसूलपुर दभेडी एवं अन्य लोगों के बयान लिये गये। मृतकों के अभिभावकों द्वारा मृतक बच्चों के पोस्टमार्टम कराने एवं अन्य कोई कानूनी कार्यवाही कराने से इंकार कर दिया गया । मौके पर उक्त दोनों अभिभावकों के लिये गये बयान की छाया प्रति संलग्न है। पीडित परिवार को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1-11099/59/2022-11, राजस्व अनुभाग-11, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ दिनांकित 13.10.2022 के साथ गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-33-03/2020-एन0डी0एम0-1, दिनांक 10.10.2022 द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से सहायता हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता मृत्यु के कारण संबंधी प्रमाण के अध्याधीन दिये जाने का प्राविधान है। चूंकि मृतक बच्चों के अभिभावकगण द्वारा अपनी स्वेच्छा से मृतक बच्चों का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था तथा कोई कानूनी कार्यवाही किये जाने से भी इंकार कर दिया गया था, ऐसी स्थिति में पीडित पक्ष को राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से आर्थिक सहायता स्वीकृत नहीं की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मृत्यु के कारणों की स्थिति स्पष्ट होने पर आर्थिक सहायता देय होती है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही किया जाना समीचीन नहीं है।

आख्या सादर प्रेषित है।

संलग्नकःयथोपरि,

27/02/24

(सतीश चन्द्र बघेल)
तहसीलदार, बुढाना
मजफ्फरनगर

(मोनालिसा जौहरी)
उप जिलाधिकारी, बुढाना
मजफ्फरनगर

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय तहसीलदार बुढाना, मुजफ्फरनगर ।

संख्या 794 / र0का0 दिनांक 26-6-2023

विषय : ग्राम रसूलपुर दभेडी तहसील बुढाना निवासी 03 बच्चो की पानी के गडढे मे डूबने से मृत्यु विषयक।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
मुजफ्फरनगर।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि तहसील बुढाना मे आज दिनांक 26.06.2023 को ग्राम रसूलपुर दभेडी के 03 बच्चो की गढढे मे भरे बरसात के पानी मे डूबने से मृत्यु हो गयी है इस सम्बन्ध मे राजस्व निरीक्षक शाहपुर की आख्या दिनांक 26.06.2023 प्राप्त की गयी ।

राजस्व निरीक्षक शाहपुर की आख्या के अनुसार आज दिनांक 26.06.2023 को अपरान्ह लगभग 1.00बजे ग्राम रसूलपुर दभेडी तहसील बुढाना निवासी अहसान नाबा0आयु लगभग 10 वर्ष पुत्र आरिफ , असद आयु लगभग 08 वर्ष एवं फैसल आयु लगभग 06 वर्ष पुत्रगण हुसैन निवासीगण रसुलपुर दभेडी तहसील बुढाना की गॉव अलीपुर अटेरना स्थित मॉ भगवती ब्रिक फिल्ड में भटटे की पथवार के खुदान मे बरसात के पानी से भरे गहरे गडढे मे खेलते हुए डूबने से मृत्यु हो गयी है।

इस सम्बन्ध मे मौके पर उपस्थित मृतक बच्चो के पिता आरिफ एव हुसैन पुत्रगण युसुफ निवासीगण रसूलपुर दभेडी एवं अन्य लोगो के ब्यान लिये गये। मृतक के अभिभावको द्वारा मृतक बच्चो के पोस्टमार्टम कराने एव अन्य कोई काननूनी कार्यवाही कराने से इन्कार किया गया।

आख्या महोदय की सेवा मे सादर प्रेषित है।

संलग्नक : यथोपरि।

तहसीलदार,
बुढाना।

प्रतिलिपिः उपजिलाधिकारी बुढाना महोदय की सेवा मे सादर प्रेषित है।

तहसीलदार,
बुढाना।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि आज दिनांक 26.06.2[illegible] को अपरान्ह लगभग 1:00 बजे ग्राम रसूलपुर दभेड़ी तह[illegible] बुढ़ाना निवासी अहसान भा० बा० आयु लगभग 10 वर्ष [illegible] आरिफ, असद आयु लगभग 8 वर्ष व फैसल आयु लगभ[illegible] 6 वर्ष पुत्रगण हुसैन निवासीगण रसूलपुर दभेड़ी तह० बुढ़ा[illegible] के गाँव अलीपुर अटेरना स्थित माँ भगवती ब्रिक फ़ि[illegible] में भट्टे की पथवार के खुदान में बरसात के पानी से भरे गहरे गड्ढे में खेलते हुए डूबने से मृत्यु हो ग[illegible] है। इस सम्बन्ध में मौके पर उपस्थित मृतक बच्चे के पिता आरिफ एव हुसैन पुत्रगण युसूफ निवासीगण रसूलपुर दभेड़ी एव अन्य लोगो के ब्यान लिये गये। मृतक के अभिभावको द्वारा मृतक बच्चो के पोस्टमार्टम कराने एव अन्य कोई कानूनी कार्यवाही कराने से इन्कार किया गया है रिपोर्ट उचित कार्यवाही हेतु महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

Anuj Kumar लेo
26.06.202[illegible]
[signature] 26/6/2023 लेoक्षेo - शीरी उ[illegible]

ब्यान

मैं हुसैन पुत्र यूसूफ आयु लगभग 35 वर्ष जाति मु० राजपूत पेशा मजदूरी निवासी रसूलपुर दभेड़ी ने ब्यान किया कि आज दिनांक 26-06-2023 को समय लगभग 1:00 बजे दोपहर को मेरे दो पुत्र असद आयु लगभग 8 वर्ष व फैसल आयु लगभग 6 वर्ष खेलते - खेलते प्रवीण के भट्टे की पथेर पर चले गए जहाँ पर बरसा का पानी गड्ढो में भरा हुआ था जिसमें बच्चे नहाने लगे गड्ढे में गहरा पानी होने के कारण पानी में डूब गए डूबने से बच्चो की मृत्यु हो गई जिसका हम किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही (पोस्टमार्टम) आदि नही कराना चाहते है ब्यान सुनकर व पढ़कर तस्दीक किया।

अतीक राणा
9837844566.

हुसैन

ईसा राणा

8445999618

मो० जावेद - 9359977255

आरिफ 9837371920

नि० अँगूठा

यूसूफ

Anuj Kumar हे०
26.06.2023
हे०का० शेरी 386

26/6/2023

जानेआलम

बयान

मैं आरिफ पुत्र यूसुफ आयु लगभग लगभग 50 वर्ष
जाति मु० राजपूत पेशा मजदूरी निवासी रसूलपुर दभेड़ी
ने बयान किया कि आज दिनांक 26/06/2023 को समय
लगभग 1:00 बजे दोपहर को मेरे पुत्र अहसान आयु
लगभग 10 वर्ष खेलते-खेलते प्रवीण के भट्टे की पथैर
पर चले गए जहाँ पर बरसात का पानी गढ्ढो में भरा
हुआ था जिसमें बच्चे नहाने लगे जहाँ नहाते समय
अहसान आयु 10 वर्ष तथा मेरे सगे भतीजे असद 8 वर्ष
व फैसल आयु 6 वर्ष पुत्रगण हुसैन इन तीनो बच्चो की
गढ्ढे के गहरे पानी में डूबने से मृत्यु हो गई अब
हम किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही (पोस्टमार्टम
आदि की कार्यवाही नही कराना चाहते है बयान सुनकर
व पढ़कर तस्दीक किया।

सि० अँगूठा

अतीक राणा
9837844566

Anuj Kumar
26.06.2023
उ०नि० - थाना अटारी

आरिफ
7037316656

ईसा राणा

मो० जावेद 9759977253

आमिर 9837371920

सि० अँगूठा

26/6/2023

यूसुफ

पानीआसय

कार्यालय तहसीलदार बुढाना, मुजफ्फरनगर ।

संख्या 12 / र0का0 दिनांक 4.1.2024

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण दिल्ली में एक वाद के सम्बन्ध मे आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने विषयक।

1—श्री गोरव लेखपाल
क्षेत्र गोयला,तहसील बुढाना।

2—श्री अनुज लेखपाल
क्षेत्र शोरो उत्तरी, तहसील बुढाना ।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण दिल्ली में एक वाद के सम्बन्ध मे अधिवक्ता श्री हार्दिक से मौखिक वार्ता के कम में आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराये जाने है इस सम्बन्ध मे आप वाद से सम्बन्धित अभिलेख लेकर कल दिनांक 05.01.2024 को प्रातः 10.00 बजे से पूर्व अधिवक्ता श्री हार्दिक से सम्पर्क कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4/1/2024
तहसीलदार,
बुढाना।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— श्री हार्दिक अधिवक्ता मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

2—उपजिलाधिकारी महोदय बुढाना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

तहसीलदार,
बुढाना।

एक प्रति प्राप्त की।
गोयला
4.1.2024

नगर मजिस्ट्रेट,
जनपद मुजफ्फरनगर।

महोदय,

कृपया आप अपने पंत्राक **200/ओ0ए0 संख्या–604/हुसैन अहमद/2024 दिनांक 24.02.2024** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 604/2023 हुसैन अहमद बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 05.01.2024 के अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

जांच का सारांशः–

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में मेरे द्वारा थाना प्रभारी बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर से प्राप्त आख्या का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि, दिनांक 27.06.2023 को समय दोपहर करीब 12.30 बजे 1. हुसैन पुत्र युसुफ निवासी ग्राम रसूलपुर दभेडी थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर के 02 पुत्र फैसल उम्र करीब 10 वर्ष व असद उम्र करीब 08 वर्ष व आरिफ पुत्र युसुफ निवासी ग्राम रसूलपुर दभेडी थाना बुढाना मुजफ्फरनगर का एक पुत्र अहसान उम्र करीब 11 वर्ष खेलते हुये मॉ भगवती ब्रिक्स फील्ड ग्राम अलीपुर अटैरना थाना बुढाना मुजफ्फरनगर की पथैर(ईट पाथने वाली जगह) पर पहुंच गये थे। उक्त गडडों में बरसात का पानी भरा हुआ था। उक्त भटटे की पथैर के गडडों में फैसल व असद पुत्रगण हुसैन उपरोक्त व अहसान पुत्र आरिफ की बरसात के पानी में डूबने से मृत्यू हो गयी थी। इस सम्बन्ध में मृतक बच्चों के परिवारीजन द्वारा किसी प्रकार की कोई शिकायत थाना स्तर पर नही की गयी थी तथा मृतक बच्चों के परिवारीजन द्वारा मृतक बच्चों का पोस्टमार्टम कराने से भी इंकार कर दिया गया था। जिस कारण थाना स्तर से कोई कार्यवाही उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में नही की गयी थी।(थाना बुढाना से प्राप्त आख्या संलग्न है)

आख्या सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

(गजेन्द्र पाल सिंह)
क्षेत्राधिकारी बुढाना
जनपद मुजफ्फरनगर

संलग्नकः यथोपरि।
पत्रांकः एसटी/सीओबुढाना– /2024 (अन्य)
दिनांकः फरवरी 26 , 2024

रिपोर्ट थाना - बुढाना जनपद मु० नगर

सेवा में,

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय,
जनपद - मु० नगर

विषय- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ०ए०सं० 604/2023 हुसैन अहमद बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एण्ड अदर्स में पारित आदेश दि० 05/01/2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में आख्या -!-

महोदय,

निवेदन है संलग्न प्रार्थना पत्र की जाँच मुझ उ०नि० द्वारा की गई तो तथ्य इस प्रकार पाये गये कि दि० 27/06/2023 को समय करीब दोपहर 12:30 बजे (1) हुसैन पुत्र युसुफ निवासी ग्राम रसूलपुर दभेडी थाना बुढाना जनपद मु० नगर के 02 पुत्र फैसल उम्र करीब 10 वर्ष व असद उम्र करीब 08 वर्ष, (02) आरिफ पुत्र युसुफ निवासी ग्राम रसूलपुर दभेडी थाना बुढाना मु० नगर का एक पुत्र अहसान उम्र करीब 11 वर्ष खेलते हुऐ माँ भगवती ब्रिक्स फील्ड ग्राम अलीपुर अटेरना थाना बुढाना मु० नगर की पथैर (ईंट पाथने वाली जगह) पर पहुँच गये थे। उक्त गड्ढो में बरसात का पानी भरा हुआ था। उक्त भट्टे की पथैर के गड्ढो मे फैसल व असद पुत्रगण हुसैन उपरोक्त व अहसान पुत्र आरिफ उपरोक्त की उक्त गड्ढो मे भरे बरसात के पानी मे डूबने से मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद मृतक बच्चो के परिवारीजनो द्वारा किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही व मृतक बच्चो के पोस्टमार्टम से इन्कार करते हुऐ कोई प्रार्थना पत्र थाना हाजा पर नहीं दिया गया था।

रिपोर्ट सादर सेवा मे प्रेषित है।

संलग्न- एक प्रति जी०डी० दि० 27/06/23

श्रीमान जी,
संस्तुति सहित अग्रसारित है।
[signature]
प्रभारी निरीक्षक
[illegible]

[signature] 25/04/24
संदीप कुमार
(उ०नि०)
थाना - बुढाना मु० नगर

General Diary Details
सामान्य दैनिकी विवरण

State (राज्य): उत्तर प्रदेश

P.S. (थाना): बुढ़ाना

District (जिला): मुजफ्फर नगर

1. G.D. No. (रोजनामचा सं.): 018
2. G.D. Date (रोजनामचा दिनांक): 27/06/2023 00.51 बजे
3. G.D. Type (रोजनामचा प्रकार): आगमन/वापसी
4. Entry for (officer) (प्रविष्टि(अधिकारी के लिए)): THANABUDHANA
5. Case Type (प्रकरण के प्रकार) : पौढ़
6. G.D. Brief (रोजनामचा संक्षिप्त):
   इस समय उ0नि0 श्री संजय कुमार मय है0का0 451 महेन्द्र बाबू मय का0 2099 अंकुर मय प्राइवेट वाहन के रवाना शुदा रपता रपट रो0आम तारीखी दिरोजा से बाद देखरेख शान्ति व्यवस्था गस्त, रोकथाम जुर्म जरायम,चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन तलाश व दबिश वांछित व वारण्टी /इनामी अपराधी व विवेचना मुकदमा मजरूआत व जाँच अहफामात से वापस थाना हाजा आये तथा एक किता तहरीर ग्राम रसूलपुर दभेडी में हुयी घटना से सम्बन्धित लाकर दाखिल की जो हस्ब जैल है-सेवा मे श्रीमान थाना प्रभारी महोदय थाना बुढाना मु0नगर निवेदन है कि प्रार्थी युसुफ पुत्र रासू निवासी ग्राम रसूलपुर दभेडी थाना बुढाना मु0नगर का रहने वाला है आज दिनाक 26/6/23 को समय करीब 1 बजे दिन मेरे पोते 1 फैसल 7 वर्ष 2 असद 9 वर्ष 3 अहसान 10 वर्ष पुत्र आरिफ निवासीगण रसूलपुर दभेडी गाव के पास मे ही भट्टे की पथेर के पानी भरे गड्ढो में नहाते समय डूब कर तीनो की मृत्यु हो गयी यह बात हमे उनके साथ नहा रहे बच्चो ने अरमान पुत्र आरिफ ने आकर बताई इसमे किसी का कोई दोष नही है नहाते समय तीनो बच्चो की मृत्यु हुई है मै अपने तीनो पोतो का पोस्टमार्टम नही कराना चाहता हूँ ।लेखक जाबिर अली 9359327819 हुसैन 8445999618 नि0आ0 आरिफ अलीम अहमद 9837891238 अब्दुल रहमान 9837844566 अंग्रेजी अपठित 90841366 जावेद 9359977255 इसराना 9760363S2 मन्जूर अहमद 82733376 राशिद 9627731314 अंग्रेजी अपठित 9634641921 प्रार्थी युसुफ पुत्र रासू नि.ग्राम रसूलपुर दभेडी थाना बुढाना मु0नगर mb 8445343493 लाकर दाखिल की। घटना से उच्चाधिकारीगण महोदय को अवगत कराया गया ।उ0नि0 को चौकी उमरपुर रवाना किया गया । असलाह व कार बादस्तूर है ।
7. Subject (विषय):
   वापसी उ0नि0 मय कर्म0गण
8. Acts & Sections (अधिनियम और धारा(एँ)):

S.No.(क.स.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 25/02/2024
Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुदित):
Name (नाम): THANA BUDHANA
Rank (पद): I (Inspector)

Signature (हस्ताक्षर):
Name (नाम): THANA BUDHANA
Rank (पद): I (Inspector)
No.(सं.): 9454404062

ANNEXURE-6

प्रेषक,

प्रभु एन. सिह,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश । 2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

राजस्व अनुभाग-11 लखनऊ: दिनांक:13/10/2022

विषय:- राज्य आपदा मोचक निधि (एस०डी०आर०एफ०) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि (एन०डी०आर०एफ०) से सहायता हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिये संशोधित मदों (आइटम) की सूची एवं मानकों की संशोधित दरों के अनुसार राहत प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या 33-03/2020- एन०डी०एम-I दिनाँक 10.10.2022 द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि एवं राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से सहायता हेतु संशोधित मदों की सूची एवं मानकों की संशोधित दरें निर्धारित की गयी है, जिसे वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रभावी मानते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

2. अतः गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 10.10.2022 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के उपरोक्त पत्र द्वारा निर्धारित मानक मदो एवं दरों के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

3. भारत सरकार का उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 10.10.2022 संलग्नकों सहित निम्न बेवलिंक पर उपलब्ध है:-

(1)www.rahat.up.nic

(2)https://ndmindia.mha.gov.in/images/Iitems%20and%20Norms%20of%20assistance%20from%20SDRF%20and%20NDRF%20dtd%2010%20Oct%202022.pdf

संलग्नक-यथोक्त ।

भवदीय,

(प्रभु एन. सिह)

सचिव।

igne
पंह

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अनुसचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. राहत आयुक्त, उ0प्र0।
6. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7. निजी सचिव, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ को मा0 उपाध्यक्ष के अवगतार्थ।
8. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0.प्र0 शासन।
9. निदेशक, डी०एम-I, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. निदेशक, एन0 आई0 सी0, लखनऊ।
11. निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
12. निदेशक, कोषागार निदेशालय, लखनऊ।
13. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ।
14. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
15. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय को राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट http://rahat.up.nic.in पर अपलोड कराने हेतु।
16. राजस्व अनुभाग-10
17. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(प्रभु एन. सिह)
सचिव।

igned by प्रभु नारायण
ह
ate: 13-10-2022 18:04:58
eason: Approved

ANNEXURE-7 अनुलग्नक

राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) से सहायता देने की मदों और मानदंडों की संशोधित सूची

[अवधि 2022-23 से 2025-26, गृह मंत्रालय का दिनांक 10 अक्तूबर, **2022** की पत्र संख्या 33-03/2020-एनडीएम-I (खंड-II)]

क्रम सं.	मद	सहायता के मानदंड
क	**मोचन एवं राहत [राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष(एसडीआरएमएफ) का 40% अर्थात् वर्ष के लिए एसडीआरएफ आबंटन के 50% के बराबर]**	
1	**आनुग्राहिक राहत**	
	क) मृतकों के परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान।	प्रत्येक मृतक के लिए **4.00 लाख रु** । इसमें वे भी शामिल हैं जो राहत अभियानों में शामिल हैं अथवा तैयारी संबंधी कार्यकलापों से संबद्ध हैं। यह उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा मृत्यु के कारण संबंधी प्रमाण के अध्यधीन है।
	ख) शरीर के किसी अंग (लिंब) अथवा आंख/आंखों की हानि होने पर अनुग्रह राशि का भुगतान।	प्रति व्यक्ति **74,000/-रु.**, जब अपंगता 40% और 60% के बीच हो। प्रति व्यक्ति **2.50 लाख रु.**,जब अपंगता 60% से अधिक हो। अपंगता की सीमा और उसके कारण के संबंध में सरकारी अस्पताल अथवा डिस्पेंसरी के डॉक्टर द्वारा किए गए प्रमाणन के अध्यधीन।
	ग) ऐसा गहरा जख्म जिसमें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है	प्रति व्यक्ति **16,000/-रु.**, जब एक सप्ताह से अधिक अवधि के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो। प्रति व्यक्ति **5400/-रु.**, जब एक सप्ताह से कम की अवधि के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो। **नोट:** 'आयुष्मान भारत योजना' के तहत उपचार प्राप्त करने वाले व्यक्ति इस मद के तहत राहत के लिए पात्र नहीं होंगे।
	घ) किसी प्राकृतिक आपदा के कारण जिनके घर पानी में बह गए हैं/पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं/दो दिन से अधिक पानी में डूबे हुए हैं, उन परिवारों के लिए कपड़े और बर्तन/घरेलू सामान।	**2,500/-रु.** प्रति परिवार, कपड़ों की हानि के लिए । **2,500/- रु.** प्रति परिवार, बर्तनों/घरेलू सामान की हानि के लिए
	ड.) ऐसे परिवार जिनकी आजीविका का साधन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, को आनुग्राहिक राहत	जिन परिवारों की आजीविका गंभीर रूप से प्रभावित हुई है, ऐसे प्रभावित परिवारों के दो वयस्क सदस्यों को मनरेगा की प्रतिदिन वास्तविक दर या सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की औसत दर, जो भी कम हो, के अनुसार आनुग्राहिक राहत प्रदान की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना का औसत दर की गणना के लिए संदर्भ लिया जा सकता

ANNEXURE-8

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग–11
संख्या– 387/एक–11–2021–4(जी)/2015
लखनऊ : दिनांक :: 09 जून, 2021

अधिसूचना

भारत सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि और राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि (2015–20) से व्यय के संबंध में मानक एवं दरों को निर्धारित करते हुये पत्र संख्या 32–7/ 2014–एनडीएम–प्रथम, दिनांक 08.04.2015 के बिन्दु संख्या–13 में निम्न व्यवस्था दी गयी है:–

Items	Norms of Assistance
State specific disasters within the local context in the State, which are not included in the notified list of disasters eligible for assistance from SDRF/NDRF, can be met from SDRF within the limit of 10% of the annual funds allocation of the SDRF.	• Expenditure is to be incurred from SDRF only (and not from NDRF), as assessed by the State Executive Committee (SEC). • The norm for various items will be the same as applicable to other notified natural disaster, as listed above. or • In these cases, the scale of relief assistance against each item for local disaster should not exceed the norms of SDRF. • The flexibility is to be applicable only after the State has formally listed the disasters for inclusion and notified transparent norms and guidelines with a clear procedure for identification of the beneficiaries for disaster relief for such local disasters, with the approval of SEC.

2. भारत सरकार द्वारा की गयी उक्त व्यवस्था के क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा बेमौसम भारी वर्षा/अतिवृष्टि, आकाशीय विद्युत, आंधी तूफान, लू–प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई एवं गैस रिसाव, बोरबेल में गिरने से होने वाली दुर्घटना तथा मानव वन्य–जीव द्वन्द्व को राज्य आपदा घोषित किया गया है।

3. शासन द्वारा घोषित उपर्युक्त आपदाओं के अतिरिक्त प्रदेश में **कुआं, नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर, नाला, गड्ढा, जल प्रपात में डूब कर होने वाली मृत्यु को** राज्य आपदा घोषित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

UO-R-11/2021-39

4. आपदा / दुर्घटनावश / डूबकर होने वाली मृत्यु तथा स्वेच्छा से डूबकर (Suicide) होने वाली मृत्यु में भेद किये जाने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा :–

(1) मृतक का पंचनामा किया जायेगा।

(2) किसी भी अधिसूचित आपदा से जनहानि की दशा में उपजिलाधिकारी द्वारा पुष्टि के उपरांत ही राहत राशि का भुगतान किया जाता है ताकि आपदा राहत राशि के दुरूपयोग को पूर्णतया रोका जा सके। डूबकर होने वाली मृत्यु के सम्बन्ध में भी उपजिलाधिकारी द्वारा उक्त वर्णित प्रक्रिया का पालन किये जाने के उपरान्त ही राहत राशि भुगतान किये जाने का निर्णय लिया जायेगा।

(3) आपदा / दुर्घटनावश / डूबकर होने वाली मृत्यु तथा स्वेच्छा से डूबकर (Suicide) होने वाली मृत्यु में अन्तर उक्त आधारों पर जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय ही अन्तिम होगा।

(4) यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु, आत्महत्या या अन्य आपराधिक कृत्य के फलस्वरूप होती है, तो ऐसी दशा में मृतक के आश्रित को कोई सहायता राशि अनुमन्य नहीं होगी।

4. उक्त घोषित राज्य आपदा के सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–05–स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड–800–अन्य व्यय–06– स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय–09–राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय" से वहन किया जायेगा।

09/6/21

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 387(1) / एक–11–2021 तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

8. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5 उ0प्र0 शासन।
10. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय को राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट http://rahat.up.nic.inपर अपलोड कराने हेतु।
11. अनुभाग अधिकारी, राजस्व अनुभाग–11 को http://shasanadesh.up.gov.in वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
12. राजस्व अनुभाग–10
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

UO-R-11/2021-41